

14/2015

गुलाब कंवर / सौन कंवर

27-2-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट उपर।  
रेसपोन्ड के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे।  
पेश करने पर जारी हो। तहत कारिकाइ  
तलब हो। पत्रावली दिनांक 9-4-20 को  
पेश हो।

9.4.20

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्ट/रेसपो.उप. तहत  
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज...  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.5.20  
को पेश हो।



28.5.20

DUE TO LOCKDOWN FILE PUT  
ON DATE AT 27.7.20

READER

27/7/20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच ने आज  
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व  
आज्ञानुसार दिनांक 28/9/20 को पेश हो।

28.9.20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच ने आज  
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व  
आज्ञानुसार दिनांक 7-12-20 को पेश हो।

7-12-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच ने आज  
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व  
आज्ञानुसार दिनांक 10-2-21 को पेश हो।

10-2-21

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तामील से श्रेष्ठ रेसपोन्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्ट ने रेसपोन्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अपनी अपील के प्रति गम्भीर  
नहीं है। कसूरकर अपील अपीलान्ट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुभार होकर नम्बर  
से कम होकर बाद तत्कालीन दाखिल दफतर हो।